THE COURT

217 of 2017 B.A

Date of Signature of Order or proceeding with Signature of Presiding Officer order or Parties or Proceeding Pleaders where necessary आरोपी / आवेदक दलवीरसिंह द्वारा श्री आर०पी०एस० 13/06/2017 गुर्जर अधिवक्ता राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. । आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 द0प्र0सं0 के साथ दलवीरसिंह के पिता गजेन्द्रसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। विशेष सत्र प्रकरण क0-10/2016 डकैती का मूल अभिलेख निकाला गया । आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–439 द.प्र.सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये । आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह पूर्व से इस प्रकरण में जमानत पर था, परंत् आवेदक के पुत्र की तबीयत खराब होने से पुत्र के इलाज में व्यस्त रहा, इस कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अभिभाषक को अपनी गैर हाजिरी की सूचना दे सका था। उसकी गैरहाजिरी सदभावी होकर क्षमा योग्य है। वह आईन्दा गैर हाजिर नहीं होगा और पेशियों पर उपस्थित होता रहेगा, उसे पूर्व की गैर हाजिरी से माफी दी जाकर जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है। उभयपक्ष को सूने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह की आरे से अपने 16 माह के पुत्र आशीष के इलाज संबंधी प्रयास चिल्ड्रन हॉस्पीटल के पर्चे, पैथोलॉजी की रिपोर्ट एवं केश मेमो आदि की प्रस्तुत की गयी है, फोटोकॉपी जिसके अनुसार दि0-07/05/2017 को उसे प्रयास हॉस्पीटल में भर्ती किया गया है और दि0-13/05/2017 को डिस्चार्ज किया गया है। स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पीटल के पर्चे के अनुसार दि0-08 / 06 / 2017 को गोहद में दिखाया गया है, अन्य इसी दौरान विभिन्न दिनांकों के मेडीकल, केस मेमो एवं पैथौलॉजी

की रिपोर्ट संलग्न है। मूल प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट

है कि दि0-26/05/2017 को आवेदक/आरोपी दलवीरसिंह बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहा था। उक्त दिनाक को न तो कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया और न ही न्यायालय को सूचित किया गया । दि0–26/05/2017 की अवधि के दौरान के कोई मेडीकल पर्चे पेश नहीं हैं कि आवेदक का पुत्र अस्पताल आदि में भर्ती रहा हो। अपितु बाद के पर्चे गोहद में डाक्टर को दिखाये जाने संबंधी हैं।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आपराधिक प्रवक्0-8880 / 2016 में पारित जमानत आदेश दि0-08/08/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह को 07 शर्तों पर जमानत पर रिहा किया गया था, जिसमें शर्त क0-7 यह थी कि वह सप्ताह में एक बार विचारण न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा और यदि इस शर्त का पालन किया जाता है तभी उक्त जमानत आदेश प्रभावी होगा। दि0-26 / 05 / 2017 को आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह अनुपस्थित था, इस दौरान वह सप्ताह में एक बार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायी है। जहां कि माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० खण्डपीट ग्वालियर के द्वारा जमानत आदेश करते समय उक्त शर्त अधिरोपित की गयी है, तब उक्त आदेश की मंशा के विरूद्ध जाकर अपने विवेक से आवेदक/आरोपी दलवीरसिंह का जमानत आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। शर्त क0-7 का पालन न करने से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जमानता आदेश दि0-08 / 08 / 2016 आवेदक / आरोपी दलवीरसिंहके लिए प्रभावी नहीं रह गया है, उसे इस न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार कर जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक / आरोपी दलवीरसिंह का जमानत आवेदनपत्र **निरस्त** किया जाता है।

ा । दर्ज कर अभिले (मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड इस आदेश की सत्य प्रतिलिपि विशेष डकैती प्र0क0-10 / 2016 डकैती में संलग्न की जावे।

इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।